डा0 डी0एस0चौहान,
आई0पी0एस0

अ0शा0 परिपत्र संख्या–डीजी–38/202
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय,
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ–226002
दिनॉकः लखनऊ नवम्बर 9 , 2022

विषयः– प्रदेश के 18 परिक्षेत्रीय साइबर काइम थानों में नियुक्ति/स्थानान्तरण के संबंध में।

प्रिय

कृपया उर्पयुक्त विषयक इस मुख्यालय के अशा0 परिपत्र संख्या–डी0जी0–09/2021 दिनांक 16.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा साइबर काइम पुलिस थानों में साइबर अपराधों की विशेष जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की साइबर काइम में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक ना0पु0, निरीक्षक, ना0पु0 का चयन नागरिक पुलिस के पद धारकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2– वर्तमान समय में साइबर अपराधों में दिन–प्रतिदिन हो रही वृद्धि के दृष्टिगत सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत कारित होने वाले महत्वपूर्ण साइबर अपराधों के सम्बन्ध में शासन द्वारा अधिसूचित किये गये साइबर काइम पुलिस थाना लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर तथा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर नवसृजित साइबर काइम पुलिस थानों कुल 18 थानों में साइबर अपराधों की विशेष जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नामांकन, चयन, अर्हता, तैनाती एवं स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में निम्न प्रकार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

वर्तमान में साइबर काइम पुलिस का निर्धारित नियतन निम्नवत् हैः–

- साइबर निरीक्षक–91
- साइबर उप निरीक्षक–93
- मुख्य आरक्षी साइबर–58
- आरक्षी साइबर–176

साइबर काइम आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक ना0पु0, निरीक्षक ना0पु0 की चयन प्रकिया–

साइबर काइम में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक ना0पु0, एवं निरीक्षक, ना0पु0 का चयन नागरिक पुलिस के पद धारकों हेतु न्युनतम सेवा 03 वर्ष व शर्तो को निम्न प्रकार किया जायेगा :–

1–अर्हताः–

- साइबर काइम आरक्षी/मुख्य आरक्षी जिसको कम्प्यूटर का ज्ञान हो एवं उसकी रूचि हो।
- साइबर काइम सम्बंधी प्रशिक्षण कोर्स किये हुये पुलिस कर्मियों को वरीयता दी जायेगी।
- उनकी विगत 03 वर्षो में सत्यनिष्ठा लगातार प्रमाणित हो।
- विगत 03 वर्षो में उन्हें कोई लघु अथवा दीर्घ दण्ड न मिला हो।
- विगत 03 वर्षो में उन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
- विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक अभियोग में आरोप पत्र न दिया गया हो।

..2/

2—चयन प्रकिया—

वर्ष की प्रथम तिमाही एवं आवश्यकतानुसार साइबर काइम मुख्यालय पर निरीक्षक साइबर से आरक्षी साइबर काइम तक के रिक्त पदों/भविष्य में उस वर्ष रिक्त होने वाले पदों को भरने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे। तद्नुसार सभी जनपदों में उपरोक्त अर्हतायें रखने वाले कर्मियों के नामांकन साइबर काइम मुख्यालय को उपलब्ध करायें जायेंगे। उपरोक्त सभी नामांकनों में से कर्मियों की उनकी ज्येष्ठता के आधार पर एक सूची बनायी जायेगी।

साइबर काइम मुख्यालय द्वारा सूची से सम्बंधित योग्य पुलिस कर्मियों के चयन हेतु मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होगें:—

- अपर पुलिस महानिदेशक,
  साइबर काइम, उ0प्र0 लखनऊ —अध्यक्ष
- पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
  साइबर काइम, उ0प्र0 लखनऊ —सदस्य
- अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक,
  साइबर काइम, उ0प्र0 लखनऊ —सदस्य

नोट:—उपरोक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति न होने की दशा में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित अन्य सदस्य।

3— उपरोक्त समिति द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में संस्तुति स्थापना शाखा को उपलब्ध करायी जायेगी। स्थापना शाखा के द्वारा प्रचलित शासनादेश एवं दिशा—निर्देशों के अधीन नीतिगत/विधिक बाधा न होने की दशा में उपलब्ध सूची के अनुसार कार्मिकों को साइबर काइम मुख्यालय हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा।

3—स्थानान्तरण

1. स्थापना शाखा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर काइम पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/आवंटन के पश्चात साइबर काइम मुख्यालय द्वारा साइबर काइम के एक थाने से दूसरे साइबर काइम थाने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालय/मुख्यालय में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्न गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के द्वारा किया जायेगा, जिसमें गठित समिति में निम्न पदाधिकारी होगें:—

- अपर पुलिस महानिदेशक,
  साइबर काइम, उ0प्र0 लखनऊ —अध्यक्ष
- पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
  साइबर काइम, उ0प्र0 लखनऊ —सदस्य
- अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक,
  साइबर काइम, उ0प्र0 लखनऊ —सदस्य

..3/

2. साइबर क्राइम पुलिस कर्मियों की किसी भी जनपद, परिक्षेत्र अथवा जोन में अधिकतम तैनाती अवधि तत्समय प्रचलित स्थानान्तरण नीति/निर्देशों के अनुसार होगी।

3. किसी भी पुलिस कर्मी को समयावधि पूर्ण होने के पूर्व प्रशासनिक/जनहित कारणों से किसी भी समय साइबर क्राइम पुलिस से किसी अन्य परिक्षेत्रीय साइबर थानों अथवा उसके लियन जनपद में वापस स्थानान्तरण किया जा सकता है। यदि किसी साइबर क्राइम पुलिस कर्मी के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते है तो उसे भविष्य में साइबर क्राइम पुलिस में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

4. किसी भी कर्मी के साइबर क्राइम पुलिस में तैनाती के दौरान उसके अन्तर परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों में स्थानान्तरण उसके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जा सकता है, किन्तु यह सभी स्थानान्तरण सम्बन्धित बोर्ड द्वारा किसी परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने के साइबर क्राइम पुलिस के नियतन एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये ही किये जायेगें।

अतः उक्त सन्दर्भ में पूर्व निर्गत आदेशों को अवक्रमित करते हुये, आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि साइबर क्राइम में पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, अर्हता, तैनाती एवं स्थानान्तरण आदि के सम्बंध में उपरोक्त दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन/परिशीलन कर, भविष्य में तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

07/11/2022

(डा0 डी0 एस0 चौहान)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।